कार्यवृत्त

गुरूवार, 16 अग्रहायण, शक संवत्, 1939
(दिनांक : 07 दिसम्बर, 2017)

खण्ड–49
अंक–1

विधान सभा की बैठक श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सभा मण्डप, भराड़ीसैंण, गैरसैंण में 'वन्दे मातरम्' से प्रारम्भ हुई।

नेता प्रतिपक्ष व विपक्ष के अन्य सदस्य नियम 310 की अपनी सूचना को लिये जाने पर बल देने लगे तथा जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे जिससे व्यवधान होने लगा। श्री अध्यक्ष ने कहा कि पहले प्रश्नकाल होने दें, उसके पश्चात नियम 310 की सूचनाओं पर विचार कर लिया जायेगा। मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रश्नगत सूचना नियम 310 की परिधि में नहीं आती है। नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के अन्य मा0 सदस्य अपनी बात पर अड़े रहे तथा जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे जिससे घोर व्यवधान होने लगा। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे सूचना को नियम 58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

श्री प्रीतम सिंह पंवार ने भी नियम 310 की दी गई अपनी सूचना को लिए जाने पर बल दिया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे उसे नियम 58 के अर्न्तगत ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

श्री करन माहरा द्वारा भी नियम 310 की अपनी सूचना लिए जाने का अनुरोध पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे उक्त सूचना नियम 58 के अर्न्तगत दे सकते हैं।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिए गये।

आज नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त 11 सूचनाओं में से निम्नांकित विषयों पर 07 सूचनाएँ उनके सम्मुख उल्लिखित मा0 सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्तुत की गईः–

1 श्री मगन लाल शाह	जनपद चमोली के अन्तर्गत 2008 से स्वीकृत थराली घाट मोटर मार्ग आज तक न बनने से व्याप्त जनाक्रोश के सम्बन्ध में।
2. श्री गणेश जोशी	देहरादून के अन्तर्गत मसूरी शहर में कूड़े की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में।
3. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल	विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत स्वीकृत राजकीय पॉलीटैक्निक कालेज भवन का निर्माण प्रारम्भ न होने के सम्बन्ध में।
4. श्री प्रीतम सिंह पंवार	विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के विद्युत सब स्टेशन थत्यूड़ को नैनबाग व मसूरी से वैकल्पिक रूप से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।
5. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पनुवादोखन के उच्चीकरण न होने से व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।
6. श्री विशन सिह	जनपद पिथौरागढ़ के मूनाकोट से झूलाघाट तक 25 किमी0 सड़क जो नेपाल सीमा को झूलाघाट को जोड़ती है, के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में।

7. श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी — चम्पावत विधान सभा क्षेत्र के टनकपुर में ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज टनकपुर में स्थायी प्रधानाचार्य व प्रवक्ता न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

शहरी विकास मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन), अध्यादेश, 2017 को सदन के पटल पर रखा।

आबकारी मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन), अध्यादेश, 2017 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2017 के द्वितीय सत्र में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गए प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या–14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के षोडश वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के अध्याय–5 के धारा 26(1) के प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के आर्थिक चिट्ठे के प्रतिवदेन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–104(4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 के वार्षिक लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–105 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–182 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमनों का संकलन भाग–9 को सदन के पटल पर रखा।

सचिव, विधान सभा ने उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली 2005 के नियम 152(2) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाए गए उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को सदन के पटल पर रखा।

सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि :–

(1) उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 जून, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जून, 2017 को प्राप्त हो गई और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2017 का सातवाँ अधिनियम बन गया।

(2) उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 01 मई, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 जून, 2017 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2017 का आठवाँ अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 जून, 2017 को प्राप्त हो गई और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2017 का नौवाँ अधिनियम बन गया।

(4) उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 जून, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 जून, 2017 को प्राप्त हो गई और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2017 का दसवाँ अधिनियम बन गया।

(5) उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबन्धन का विनियमन एवं नियंत्रण) (निरसन) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 जून, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 जून, 2017 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2017 का ग्यारहवाँ अधिनियम बन गया।

(6) उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 08 जून, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 जून, 2017 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2017 का बारहवाँ अधिनियम बन गया।

श्री गणेश जोशी, सदस्य, विधान सभा का नाम ''जनपद देहरादून के ग्राम–पंचायत सेरागांव के अन्तर्गत रा0प्रा0वि0 चौकी चुंगी चामासारी के क्षतिग्रस्त भवन के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री कृपाल जवाड़ी रतन, ग्राम–सेरागाँव, पो0–सहस्त्रधारा, जनपद देहरादून, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया परन्तु मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी विधान सभा के अन्तर्गत विकास खण्ड जौनपुर में थापला–सूरीधार से मसराना–सुवाखोली तक मोटर–मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री गोविन्द सिंह असवाल, ग्राम–कफुल्टा, पो0–थत्युड़, विकासखण्ड जौनपुर, टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी विधान सभा के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनपुर के मोलधार से चापड़ा तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री वैजराम थपलियाल, ग्राम–पापरा, पो0–थत्युड़, विकासखण्ड जौनपुर, टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनपुर के भीमल की चलोठी के पास पैदल झूला–पुल निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री सोबत सिंह रावत, ग्राम–लगड़ासू, पो0–बंगार, विकासखण्ड जौनपुर, टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनपुर में ओंतण से नागटिब्बा–पन्तवाड़ी तक मोटर–मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री गुरू प्रसाद लेखवार, ग्राम–ओंतण, पो0–बंगशील, विकास खण्ड जौनपुर, टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य,विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र के बिकासखण्ड जौनपुर अन्तर्गत काण्डी–सड़ब लिफ्ट पम्पिंग योजना निर्माण के सम्बन्ध में" श्रीमती बविता नेगी, सदस्य, जिला पंचायत बार्ड बंगलों की काण्डी जौनपुर, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के विकास खण्ड थौलधार के ग्राम डोबन–सरोट में लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर

सिंह राणा पुत्र श्री राम चन्द्र राणा, ग्राम डोबन पो0 सरोट तहसील कण्डीसौड़ जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत छाम कण्डीसौड़–बल्डोगी पैदल झूलापुल निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री बुद्धि सिंह बिष्ट, सदस्य क्षेत्र पंचायत धरवालगांव तहसील कण्डीसौड़ जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा में नगर पंचायत झबरेड़ा में सीवर प्लान्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री यशपाल सैनी कस्बा झबरेड़ा, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा '' जनपद हरिद्वार में विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत नगर पंचायत झबरेड़ा में कूड़ा निस्तारण हेतु भूमि उपलब्ध कराकर कूड़ा निस्तारण यंत्र लगाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री कुलदीप सैनी, पूर्व सभासद नगर पंचायत झबरेड़ा, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा '' जनपद हरिद्वार में विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत सलेमपुर राजपुताना में जल भराव की समस्या के निदान के सम्बन्ध में'' श्री राहुल सैनी, सलमपुर राजपुताना, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार में झबरेड़ा विधान सभा के नगर पंचायत झबरेड़ा में सरकारी अस्पताल के निर्माण व संचालन किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री विनोद कुमार, झबरेड़ा, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा व नगर पंचायत झबरेड़ा को ब्लॉक/विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री कुलदीप सैनी, पूर्व सभासद, नगर पंचायत झबरेड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार में झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत भगतोवाली में पानी की टंकी और खाले की सफाई के सम्बन्ध में'' श्री दिनेश पालीवाल, ग्राम झबरेड़ा, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार में झबरेड़ा विधान सभा के अन्तर्गत नगर पंचायत झबरेड़ा में रोडवेज बस अड्डा के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री दिनेश पालीवाल, कस्बा झबरेड़ा, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा में राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज खोले जाने के सम्बन्ध में'' श्री विश्वनाथ सैनी, कस्बा झबरेड़ा, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा '' जनपद टिहरी गढ़वाल के टिहरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बौराड़ी स्टेडियम नई टिहरी के आधे–अधूरे निर्माण को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में ''श्री विक्रम सिंह कठैत, जे–ब्लॉक नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के टिहरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जाखणीधार–गराकोट–पौड़ीखाल निरालीधार–दपोली–केलाण, टिहरी–काण्डी खाल, तोली–भरेटीधार, छेटी– काण्डाडागी– मरोड़ा, अंजनीसैंण– बैसोली–कपरियाणी सैंण, जीरोब्रिज–सैंण–पिपोला–चोपड़ा इत्यादि मोटर मार्गों के सड़क कटाव के प्रतिकर भुगतान दिए जाने के सम्बन्ध में'' श्रीमती बेबी असवाल, ब्लॉक प्रमुख जाखणीधार, टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के टिहरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रानीचौरी पर्वतीय परिसर के कैम्पस कॉलेज को पूर्व की भाँति संचालित किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री विजय सिंह नेगी, ग्राम–डारगी, पो0–रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम इब्राहिमपुर में आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री सुरेन्द्र प्रधान, ग्राम–इब्राहिमपुर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम खरकड़ी दयाला में आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री सुरेश, ग्राम–खरकड़ी दयाला, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम सढ़ौला में, सढ़ौला माजरा की आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में''श्री ईश्वर सिंह, ग्राम–सढ़ौला माजरा, पोस्ट–मखदुमपुर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम मतलबपुर, विकास क्षेत्र रूड़की की आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री सचिन, ग्राम–मतलबपुर, पोस्ट–रूड़की, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम भगतोवाली की आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री अहसान अली, ग्राम–भगतोवाली, पोस्ट–खास, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत शहर झबरेड़ा में 11के0वी0 विद्युत–लाइन को भूमिगत किए जाने के सम्बन्ध में'' श्री रमेश चौधरी, कस्बा–झबरेड़ा, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–मुलेवाला की आन्तरिक सड़कों के निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में'' श्री ऋषिपाल, ग्राम–मुलेवाला, पोस्ट–इकबालपुर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत विकास क्षेत्र नारसन, के ग्राम–उदलहेड़ी में चकबन्दी किए जाने के सम्बन्ध में ''श्री सूर्यवीर मलिक, ग्राम–उदलहेड़ी, विकासखण्ड–नारसन, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–सुसाड़ी खुर्द (गोकलपुर), की आन्तरिक सड़कों के निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में'' श्री शिव कुमार, ग्राम–सुसाड़ी खुर्द (गोकलपुर), पोस्ट–लखनौता, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–भिस्तीपुर, की आन्तरिक सड़कों के निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में '' श्री सुखपाल सिंह, ग्राम–भिस्तीपुर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–सालियर, की आन्तरिक सड़कों के निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में'' श्री महेन्द्र सैनी, ग्राम–सालियर, पो0–खास, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–कोटवाल आलमपुर, की आन्तरिक सड़कों के निर्माण कराए जाने के

सम्बन्ध में'' डा0 तेजपाल, ग्राम–कोटवाल आलमपुर, पोस्ट–खास, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–मखदुमपुर, की आन्तरिक सड़कों के निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में '' श्री भुपेन्द्र चौधरी, ग्राम–मखदुमपुर, पोस्ट–खास, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम– खुण्डेवाली, की आन्तरिक सड़कों के निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में ''श्री ब्रह्म सिंह, ग्राम–खुण्डेवाली, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम– माधोपुर, की आन्तरिक सड़कों के निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में'' श्री मांगेराम, ग्राम–माधोपुर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–शाहपुर साल्हापुर, की आन्तरिक सड़कों के निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में'' श्री बलजीत, ग्राम–शाहपुर साल्हापुर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–हरजौली झोझा , की आन्तरिक सड़कों के निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में'' श्री मुर्सलीन, ग्राम–हरजौली झोझा, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–पाड़ली गेंदा, की आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री शमशाद, ग्राम–पाड़ली गेंदा, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–हथियाथल, की आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में '' श्री धारा सिंह, ग्राम–हथियाथल, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–धर्मपुर, की आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में '' श्री उदय सिंह, ग्राम–धर्मपुर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–अकबरपुर, की आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री जाति राम, ग्राम–अकबरपुर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–लाठरदेवा शेख की आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में '' श्री जावेद, ग्राम–लाठरदेवा शेख, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–बुडपुर चौहान, की आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में '' श्री विश्वास चौधरी, ग्राम–बुडपुर चौहान, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–झबरेड़ा कला, की आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री रणतेश चौधरी, ग्राम–झबरेड़ा कला, पो0–झबरेड़ा जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–शेरपुर खेलमऊ, की आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री मनोज चौधरी, ग्राम–शेरपुर खेलमऊ, पो0–खास जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–लोदीवाला की आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में '' श्री चंद्रपाल, ग्राम–लोदीवाला, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–रामनगर, की आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री कुलदीप चौधरी, ग्राम–रामनगर, पो0–खास, विकासखण्ड नारसन, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–खाताखेड़ी, की आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में'' मौ0 गुफरान, ग्राम–खाताखेड़ी, पो0–इकबालपुर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–नन्हेड़ा, की आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में '' श्री आर्यन त्यागी, ग्राम–नन्हेड़ा, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–नगलाकुबड़ा, की आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री जय कुमार, ग्राम–नगलाकुबड़ा, पो0–इकबालपुर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–लाठरदेवा शेख की आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री वेदप्रकाश, ग्राम–लाठरदेवा शेख, पो0–इकबालपुर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–हीराहेड़ी, की आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में'' डा0 अर्जुन, ग्राम–हीराहेड़ी, पो0–इकबालपुर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम–तांशीपुर में नहर की पट्‌टी (किनारा) तक सड़क मरम्मत के सम्बन्ध में'' श्री मनमोहन त्यागी, ग्राम–तांशीपुर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–लोदीवाला में सेवा के मकान से शेरसिंह के मकान तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री चन्द्रपाल, ग्राम–लोदीवाला, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम– इब्राहिमपुर में शमशान घाट की बाउन्ड्री–वाल, छतरी और सोलर लाइट निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री रवि, ग्राम–इब्राहिमपुर, पो0–सालियर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम– झबरेड़ी खुर्द में शमशान घाट की छतरी व बारात घर की चार–दीवारी

के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री राहुल, ग्राम–झबरेड़ी खुर्द, पो0–झबरेड़ा, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–सरकड़ी ताहरपुर, की आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री दानिश, ग्राम–सरकड़ी ताहरपुर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम– सुल्तानपुर साबतवाली में रफल के मकान से धीर सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री महीपाल, ग्राम–सुल्तानपुर साबतवाली, पो0–झबरेड़ा, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–रसूलपुर की आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री मजाहिर, ग्राम–रसूलपुर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–तांशीपुर, की आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री रूपचन्द, ग्राम–तांशीपुर, पो0–खास, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा '' जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम–कमेलपुर की आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में '' श्री असलम, ग्राम–कमेलपुर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

मा0 सदस्य श्री चन्दन राम दास ने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाते हुये कहा की विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में राज्य वित्त से नगरपालिका परिषद बागेश्वर द्वारा कतिपय कार्यों के नये बोर्ड नगर के प्रमुख स्थानों पर लगाए हैं। परन्तु स्थानीय विधायक के नाते उनका नाम बोर्ड में नहीं है। जबकि पीठ की ओर से कई बार विधायकों के नाम कार्यक्रमों के सूचना पट्ट पर अनिवार्य रुप से अंकित किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। अतः यह उनके विशेषाधिकार की परिधि में आता है तथा इस सम्बन्ध में कड़े आदेश जिलाधिकारी/ नगरपालिका के पारित किए जाए।

मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिह नेगी ने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाते हुये कहा की उनके विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में पंचायती राज, शिक्षा एवं जल निगम से संबंधित कई समस्याओं के निराकरण हेतु कई पत्र एवं स्मृति पत्र विभाग को प्रेषित किए गए, परन्तु उन पत्रों पर कोई कार्यवाही नही की गई तथा प्रकरण को जानबूझ कर टाला गया और सुलझाने का कोई प्रयास नही किया गया। अतः इससे उनके विशेषाधिकार का हनन हुआ है एवं उन्होंने इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग की।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में विधायक एक महत्वपूर्ण पद पर जनता के प्रतिनिधि के रुप में कार्य करते हैं। शासन, प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध मे पीठ से पूर्व में भी निर्देश पारित किये गये हैं। मैं पुनः सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। शासन एवं प्रशासन के सभी कार्यालयों में विधान सभा के मा0 सदस्यों को प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्ण सम्मान दिया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं उनके द्वारा उठाई गई जन समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक सम्यक् कार्यवाही की जाए।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगी, जो प्रदान की गई।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित किया।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री ने उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगी, जो प्रदान की गई।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री ने उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित किया।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगी, जो प्रदान की गई।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित किया।

पर्यटन मंत्री ने सराय अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी जो प्रदान की गई।

पर्यटन मंत्री ने सराय अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकुलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकुलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित किया।

आबकारी मंत्री ने उत्तराखण्ड (उ0प्र0संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगी जो प्रदान की गई।

आबकारी मंत्री ने उत्तराखण्ड (उ0प्र0संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया की कार्य–मंत्रणा समिति में दिनांक 06 दिसम्बर, 2017 की बैठक में दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नवत रखे जाने की सिफारिश की हैः–

दिसम्बर, 2017

07 (गुरूवार)

1– सामान्य कार्य

2– विधायी कार्य–

(1) उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार एवं पारण

(15मिनट)

(2) उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 जो प्रवर समिति द्वारा यथा

संशोधित किया गया है, पर विचार एवं पारण (30 मिनट)

(3) वित्तीय वर्ष 2017–18 की अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अनाथालय और अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण हेतु गठित नियंत्रण बोर्ड में विधान सभा के तीन निर्वाचित मा0 सदस्यों को पदेन सदस्य नामित किए जाने हेतु यह सदन मा0 अध्यक्ष विधान सभा को

प्राधिकृत करता है। इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत निर्वाचित पदेन सदस्य समझे जाएंगे। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम 58 के अन्तर्गत श्री हरीश सिंह, श्री प्रीतम सिंह, श्री प्रीतम सिंह पंवार, काजी मौ0 निजामुद्दीन तथा श्री फुरकान अहमद की कुल पाँच सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। वे उनमें से श्री प्रीतम सिंह, श्री प्रीतम सिंह पंवार तथा काजी निजामुद्दीन की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

सदन की कार्यवाही 01 बजकर 30 मिनट पर भोजनावकाश के लिये 03:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही अपराह्न 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः प्रारम्भ हुई।

विधान सभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना निमार्ण से विस्थापित ग्राम लोहरी, तहसील कालसी, जनपद देहरादून के परिवारों को जीवनगढ़ स्थित रेशम फार्म की भूमि आवंटित किए जाने के प्रदेश के मंत्री–मण्डल के निर्णय का अनुपालन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर श्री प्रीतम सिंह ने विचार व्यक्त किया। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में वताली, आनन्द चौक, कांडी पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में गन्ना अधिनियम 1953 की धारा–17 (3) के अनुसार गन्ना मूल्य के भुगतान पर चीनी मिलों द्वारा ब्याज अदा न करने तथा मिलों द्वारा जारी पर्ची पर गन्ना मूल्य अंकित न करने से उत्पन्न रोष के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना के अन्तर्गत काजी निजामुद्दीन ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम के सीमा विस्तार से प्रदेश की जनता में उत्पन्न भारी आक्रोश के संबंध में नियम–310 परिवर्तित नियम–58 के अंतर्गत ग्राहयता पर नेता प्रतिपक्ष, मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह तथा श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल ने विचार व्यक्त किये। शहरी विकास मंत्री ने उत्तर भाषण दिया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि चर्चा जारी रहेगी।

—————— 04:00 बजे अपराह्न ——————

वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2017–18 की अनुपूरक अनुदान मांगे प्रस्तुत की।

प्रदेश में नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम के सीमा विस्तार से प्रदेश की जनता में उत्पन्न भारी आक्रोश के सम्बन्ध में नियम–310 परिवर्तित नियम–58 की सूचना पर शहरी विकास मंत्री ने उत्तर पूर्ण किया। शहरी विकास मंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद चमोली के अन्तर्गत भराड़ीसैंण, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने की माँग के सम्बन्ध में नियम–310 परिवर्तित नियम–58 की सूचना पर श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 जो प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित किया गया है, पर विचार किया जाए। निम्न मा0 सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लियाः–

श्री मनोज रावत

श्री महेन्द्र भट्ट
श्री देशराज कर्णवाल
श्री प्रीतम सिंह
श्री मुन्ना सिंह चौहान

संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–28, परिशिष्ट 1 से 3 तक खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 जो प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित किया गया है, पारित किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। उनमें से जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में पैंगमोरंडा झूला पुल का निर्माण न होने से व्याप्त जन आक्रोश के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र भट्ट की सूचना को नियम 53 के अन्तर्गत वक्तब्य के लिए तथा जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट क्षेत्र की प्राथमिक पाठशाला बंदरलीमा के जीर्ण–शीर्ण भवन से शिक्षा बाधित होने के सम्बन्ध में श्री विशन सिंह की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहे हैं।

सदन की कार्यवाही 05 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेमचन्द अग्रवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।